निर्णय बइजलास काना राम (आई.ए.एस.) जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, सवाई माधोपुर

प्रकरण संख्या 09/2026 (धारा 14 सिक्योरिटाईजेशन) जीसीएमएस नं0 2026/47

हिन्दुजा हाउसिंग फाईनेन्स लिमिटेड ....प्रार्थी

बनाम

1. श्री जितेन्द्र कुमार जैन पुत्र रतनलाल जैन नि0 234 कोतवाली रोड चौथ का बरवाडा जिला सवाई माधोपुर राजस्थान 322702
अन्य पता–प्लॉट नं0 141 (पट्टानं. 32 बुक नं. 03) ग्राम चौथ का बरवाडा, ग्राम पं0 एवं पंचायत समिति चौथ का बरवाडा जिला स0मा0 322702
2. श्रीमति कल्पना जैन पत्नी जितेन्द्र कुमार जैन नि0 234 कोतवाली रोड चौथ का बरवाडा जिला सवाई माधोपुर राजस्थान 322702
अन्य पता–प्लॉट नं0 141 (पट्टानं. 32 बुक नं. 03) ग्राम चौथ का बरवाडा, ग्राम पं0 एवं पंचायत समिति चौथ का बरवाडा जिला स0मा0 322702

..........अप्रार्थी/ऋणी

The Application under section 14 of the securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act. 2002

–:: आदेश ::–

1. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी बैंक ने अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 16.08.2023 तथा 27.03.2024 को पुनर्भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के ऋण के रूप में श्री जितेन्द्र कुमार जैन पुत्र रतनलाल जैन नि0 234 कोतवाली रोड चौथ का बरवाडा जिला स0मा0 की सम्पत्ति प्लॉट नं0 141 (पट्टानं. 32 बुक नं. 03) ग्राम चौथ का बरवाडा, ग्राम पंचायत एवं पंचायत समिति चौथ का बरवाडा जिला सवाई माधोपुर में स्थित है, जिसके जमीन के पडौसी पूर्व में खाली भूखण्ड अन्य का, पश्चिम में भूखण्ड संख्या 140, उत्तर में 30 फीट कॉलोनी रोड व दक्षिण में 130 फीट छोडकर रेल्वे लाईन है, जिसका क्षेत्रफल 106.11 वर्ग गज है, को बंधक रखकर क्रमशः 10,90,000/– (दस लाख नब्बे हजार रूपये) व 2,01,000/–(दो लाख एक हजार रूपये मात्र) कुल राशि 12,91,000 (बारह लाख इकरानवे हजार रूपये मात्र) की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई थी। अप्रार्थी ऋणी द्वारा प्रार्थी बैंक को ऋण भुगतान करने में असफल रहने पर अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 02.07.2025 (प्रेषित दिनांक 03.07.2025) को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये जाने के साथ ही दिनांक 01.09.2025 को समाचार पत्र में साया करवाये जाने के बावजूद बकाया ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नही करने पर प्रार्थी बैंक ने उक्त अधिनियम की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने पास बतौर जमानत रहन रखी गई उक्त सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक पुलिस इमदाद उपलब्ध कराने की इस्तदुआ की है।
2. अप्रार्थीगण को सुनवाई हेतु जरिये नोटिस तलब किया गया किन्तु बावजूद तामिल नोटिस अप्रार्थीगण नियत दिनांक को उपस्थित नहीं हुए।
3. सुयोग्य बैंक प्रतिनिधि को सुना। पत्रावली का भलीभॉति अवलोकन किया गया।
4. प्रकरण में प्रार्थी बैंक द्वारा दिनांक 02.07.2025 (प्रेषित दिनांक 03.07.2025) को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये जाने के साथ ही दिनांक 01.09.2025 को समाचार पत्र में साया करवाया गया, लेकिन ऋण पेटे शेष राशि का भुगतान नही किया गया। अतः उक्त अधिनियम की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थी बैंक द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। अप्रार्थी ऋणी की ओर से प्रार्थी बैंक के पक्ष में बंधक सम्पत्ति प्लॉट नं0 141 (पट्टानं. 32 बुक नं. 03) ग्राम चौथ का बरवाडा, ग्राम पंचायत एवं पंचायत समिति चौथ का बरवाडा जिला सवाई माधोपुर में स्थित है, जिसके जमीन के पडौसी पूर्व में खाली भूखण्ड अन्य का, पश्चिम में भूखण्ड संख्या 140, उत्तर में 30 फीट कॉलोनी रोड व दक्षिण में 130 फीट छोडकर रेल्वे लाईन है, जिसका क्षेत्रफल 106.11 वर्ग गज है, का भौतिक रूप से कब्जा प्रार्थी बैंक द्वारा जरिये संबंधित पुलिस थाना प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते है।
5. आदेश की प्रति जिला पुलिस अधीक्षक सवाई माधोपुर एवं प्रार्थी बैंक/अप्रार्थी को हस्ब कायदा जारी हो। पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।
6. आदेश आज दिनांक 13.5.2026 को सुनाया गया।

(काना राम)
जिला मजिस्ट्रेट
सवाई माधोपुर

Scanned with OKEN Scanner